समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तथा सामाजिक प्रभाव आक्कलन :–

परियोजना–दरभंगा जिला अन्तर्गत कमतौल–जोगियारा पथ में खिरोई नदी पर पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु भू–अर्जन के प्रस्ताव पर सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन एवं विशेषज्ञ समूह के स्तर पर किये गये अध्ययन का मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम–2013 के धारा–8 (1, 2 एवं 3) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाना है।

समुचित सरकार का विनिश्चय

इस परियोजना के लिए अधियाची पदाधिकारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, दरभंगा के द्वारा उनके निम्नांकित पत्रों के माध्यम से भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भू–अर्जन करने हेतु मौजावार अलग–अलग अधियाचना प्राप्त हुआ है।

क्रमांक	अधियाची पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक	अंचल का नाम	थाना/थाना नं0	मौजा का नाम	अर्जनाधीन रकबा (एकड़ में)
1	340/27.05.2016	जाले	जाले/21	मुरैठा	0.6216
2			जाले/39	ढ़ढिया	0.3630
					कुल–0.9846

1. उपरोक्त अधियाचना में दरभंगा जिला के जाले अंचल में कुल दो (02) मौजे निहित है।
2. उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में अधिनियम की धारा–4–5 के तहत अर्जनाधीन क्षेत्र के सभी मौजाओं का संयुक्त रूप से सामाजिक प्रभाव आक्कलन आद्री, पटना के माध्यम से कराया गया जिससे प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन के सारांश को हिन्दी भाषा में अधिनियम के धारा–6(1) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक–653/भू–अ0, दिनांक–20.09.2017 के द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के वेवसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
3. अधिनियम के धारा–7 के तहत उपरोक्त प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का विशेषज्ञ समूह के द्वारा अध्ययन काराया गया जिसका मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक–25.06.2019 को प्राप्त हुआ। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन को भी अधिनियम के धारा–7(6) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक–418, दिनांक–09.07.2019 के द्वारा निर्दिष्ट स्थलों एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन कराया गया।
4. उपरोक्त प्रकाशन के उपरांत अर्जनाधीन क्षेत्र के हितबद्ध अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।
5. उपरोक्त परियोजना के निमित अधियाची विभाग से प्राप्त मौजावार अलग–अलग प्रस्तावों एवं उन पर संयुक्त रूप से कराये गये सामाजिक प्रभाव आक्कलन अध्ययन के प्रतिवेदन एवं उसपर विशेषज्ञ समूह से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन का अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर गहन अवलोकन विश्लेषण एवं समीक्षा करने के उपरांत निम्नांकित तथ्य स्पष्ट हुआ है :–

(क) सामूहिक चर्चा के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों सहित अधिकांश लोगों का रूख–शुरू होने वाली परियोजना के प्रति सकारात्मक पाया गया। पूरी होने पर इस परियोजना से क्षेत्र का संपर्क बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा तथा अच्छे अस्पताल, उच्च शिक्षा संस्थान और बाजार प्रतिष्ठान आदि सहित विभिन्न स्थानों तक पहुँच बढ़ेगी। उनकी राय थी कि प्रभावित परिवारों को उपयुक्त और समय से मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्तावित पुल एवं पहुँच पथ ना सिर्फ प्रत्यक्ष गांवों को बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए लाभप्रद साबित होगा।

उक्त प्रस्तावित पुल एवं सम्पर्क पथ में कुल भूमि में से दो मौजा में 0.9846 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। इसके लिए अर्जनाधीन भूमि में से दरभंगा जिला के अंचल जाले में कुल 2 (दो) मौजे का भू–भाग प्रभावित होता है। ये मौजे निम्नांकित है :–

1. जाले :– (1) मुरैठा (2) ढ़ढ़िया

उक्त प्रस्तावित पुल एवं पहुँच पथ का लाइनिंग इस प्रकार बनाया गया है जिससे आवादी के विस्थापित होने की संभावना काफी कम है तथा कृषि भूमि अधिक है।

(ख) इस प्रस्तावित पुल एवं पहुँच पथ का लाईनिंग इस प्रकार बनाया गया है जिसमें न्यूनतम दूरी तक भूमि अर्जन करने की आवश्यकता हो रही है।

(ग) इस अर्जन से होने वाले कुप्रभाव की तीव्रता कम है। कुछ कुप्रभाव प्रतिवेदित है जिसका सामाधान सुधारात्मक तरीका अपनाकर किया जा सकेगा।

(घ) इस परियोजना का सामाजिक प्रभावों में से सकारात्मक ज्यादा है तथा नाकारात्मक कम है।

(ङ) उक्त सड़क निर्माण होने पर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपने दैनिक कार्यों में जो असुविधा होने की संभावना प्रतिवेदित है उनके निदान के लिए प्रावधानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(च) प्रतिवेदन के अनुसार भू–अर्जन क्रम में लोगों के सामने भूमि का मापी कराने, स्वत्व निर्धारित कराने, प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान प्राप्त करने वगैरह समस्या आ सकती है जिसके समाधान हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी।

विनिश्चय :– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह विनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इस हेतु भू–अर्जन करने का सामाजिक मूल्य (Social Cost) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

निर्णय :– परियोजना–दरभंगा जिला अन्तर्गत कमतौल–जोगियारा पथ में खिरोई नदी पर पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु भू–अर्जन के लोक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित दो (02) मौजे के चिन्हित भू–खण्डों का अर्जन अधिनियम–2013 के प्रावधानों के तहत प्रभावित व्यक्तियों को उचित प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान करते हुए किया जायेगा तथा इसके लिए अधिनियम के धारा–11 के तहत हितबद्ध रैयतों के नाम सहित अधिसूचनाओं का प्रकाशन सम्यक रूप से कराया जायेगा।

ह०/–

स मा ह र्त्ता,
–सह–
समुचित सरकार।

ज्ञापांक ......612....../भू–अ०, *दिनांक* ......9/9/15......

प्रतिलिपि :– अचंल अधिकारी, जाले को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सह अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

स मा ह र्त्ता,
–सह–
समुचित सरकार।